


30.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रकरण काफी पुराना 103/2016 का है। तलबी स्तर पर चल रहा है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30.07.2024
पत्रावली पेशी
वादी व वादी
अधिवक्ता द्वारा
वाद पत्र मे कोई
कार्यवाही नही
चाही जा रही है
प्रकरण काफी
पुराना 103/2016
का है। तलबी
स्तर पर चल रहा
है। वादी व वादी
अधिवक्ता को
बार-बार आवाज
लगाई गई।
आवाज लगाने
के उपरान्त भी
असालतन/
वकालतन
उपस्थित नही
आये। वादी व
वादी अधिवक्ता
के उपस्थित नही
आने के कारण
वाद पत्र वादी
अदम पैरवी/
अदम हाजरी
के आधार पर
खारिज किया
जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम
की जाकर वाद
तकमील दाखिल
दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

